गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

(MHA Letter No. 33-5/2015-NDM-I, Dated 30th July 2015)

राज्य आपदा मोचन निधि के गठन और संचालन के बारे में दिशानिर्देश

प्रस्तावना

1. राज्य आपदा मोचन निधि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 48 (1) (क) (जिसे इसमें इसके पश्चात आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 कहा गया है) के अंतर्गत गठित निधि है। ये दिशानिर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 62 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं।

लागू होने की अवधि

2. ये दिशानिर्देश वित्त वर्ष 2015-16 से प्रभावी होंगे तथा ये अगले आदेशों तक जारी रहेंगे।

राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत शामिल आपदाएं

3 (i) राज्य आपदा मोचन निधि का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओला, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटना, कीट प्रकोप तथा पाला और शीत लहर के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए किया जाता है।

(ii) कोई राज्य सरकार ऐसी प्राकृतिक आपदाओं, जिनको वह राज्य के स्थानीय संदर्भ में 'आपदाएं' मानती है और जो गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल नहीं हैं, के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि में उपलब्ध निधियों की 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग कर सकती है बशर्ते कि राज्य सरकार ने राज्य विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं की सूची तैयार की हो और इस प्रकार की आपदाओं के संबंध में राज्य प्राधिकारी, अर्थात् राज्य कार्यकारी प्राधिकारी के अनुमोदन से स्पष्ट और पारदर्शी दिशानिर्देश अधिसूचित किए हों। इस प्रकार की आपदाओं पर राज्य सरकार द्वारा इस सीमा से अधिक खर्च की गई किसी राशि को, लेखाकरण के मानदंडों के अध्यधीन, उसी के संसाधनों से वहन किया जाएगा।

राज्य आपदा मोचन निधि का गठन

4. राज्य आपदा मोचन निधि का गठन संबंधित राज्य सरकारों के लेखों में मुख्य शीर्ष: 8121-सामान्य और अन्य रिजर्व फंड में रिजर्व फंड पर ब्याज से संबंधित पब्लिक एकाउंट में "राज्य आपदा मोचन निधि" के नाम से किया जाएगा तथा इसे इन दिशानिर्देशों के पैरा 18-25 के प्रावधानों के अनुसार निवेश किया जाएगा। राज्य आपदा राहत निधि में 31.03.2015 को इति शेष को एसडीआरएफ में 2015-16 के लिए प्रारंभिक शेष के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राज्य सरकार एसडीआरएफ पर ब्याज का भुगतान आरबीआई के ओवरड्राफ्ट

विनियम संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत ओवरड्राफ्टों पर लागू दर पर करेगी. ब्याज छमाही आधार पर लगाया जाएगा. राज्य सरकारों को यह प्रमाणपत्र जारी करना होगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि की स्थापना करने संबंधी अधिसूचनाएं प्रवृत्त हैं।

निधि में अंशदान

5. वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य की राज्य आपदा मोचन निधि का समग्र आकार 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार होगा. राज्य आपदा मोचन निधि की बताई गई कुल निधि में भारत सरकार योजनेतर अनुदान के रूप में सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75 प्रतिशत और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत का अंशदान करेगी। सामान्य श्रेणी के राज्यों के मामलों में शेष 25 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में शेष 10 प्रतिशत राशि का अंशदान संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

6. एसडीआरएफ में भारत सरकार के हिस्से का भुगतान सहायता अनुदान के रूप में किया जाएगा तथा भारत सरकार के खातों में इसकी गणना मुख्य शीर्ष "3601-राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान 01 योजनेतर अनुदान-109 राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान के लिए अनुदान" के अंतर्गत की जाएगी। राज्य सरकार इन्हें अपने बजट में प्राप्तियों के रूप में दर्ज करेंगी तथा इनकी गणना मुख्य शीर्ष "1601-केन्द्र सरकार से सहायता-अनुदान-01 योजनेतर अनुदान-109 राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान के लिए अनुदान" के अंतर्गत करेंगी।

7. अंशदान की इस समस्त राशि को (अंशदान के राज्य के हिस्से सहित) एसडीआरएफ में ट्रांसफर करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारें "2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत-05 राज्य आपदा मोचन निधि-101 रिजर्व फंड और जमा खातों में ट्रांसफर-राज्य आपदा मोचन निधि" शीर्ष के अंतर्गत अपने बजट के व्यय भाग में उचित बजट प्रावधान करेंगी. ऊपर पैरा 6 के अनुसार, भारत सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त होने के तत्काल बाद राज्य अपने हिस्से की राशि सहित इस राशि को, इसकी प्राप्ति के 15 दिन के भीतर लोक लेखा शीर्ष में अंतरित कर देंगे। इसमें कोई विलंब होने पर राज्य सरकार को विलंब के दिनों की संख्या के लिए आरबीआई के बैंक दर से ब्याज सहित यह राशि जारी करनी होगी। राज्य सरकार द्वारा इस रिलीज ऑर्डर की प्रति वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को जारी की जाती होगी।

तत्काल राहत पर किए जाने वाले खर्च को दर्ज किया जाना

8. राहत कार्यों पर हुए वास्तविक व्यय को मुख्य शीर्ष: 2245 के भीतर संबंधित उप/लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा (अर्थात् 01 सूखा के लिए, 02 बाढ़ के लिए, 03 चक्रवातों के लिए, 04 भूकंप के लिए, 05 ओलावृष्टि के लिए, 06 भू-स्खलन के लिए, 07 बादल फटने के लिए, 08 आग के लिए, 09 सुनामी के लिए, 10 हिम-स्खलन के लिए, 11 कीट प्रकोप के लिए और 12 शीत लहर/ पाले के लिए तथा 13 अन्य राज्य विशिष्ट आपदाओं के लिए, 13.1 विशिष्ट आपदा के लिए, 13.2 विशिष्ट आपदा के लिए, 13.3 विशिष्ट आपदा के लिए, 13.4 विशिष्ट आपदा के लिए, 13.5 विशिष्ट आपदा के लिए आदि; 16 "राज्य आपदा मोचन निधि" के लिए और 80 सामान्य के लिए)। एसडीआरएफ में प्रभारित किए जाने वाले व्यय को 2245-05-901-कम की

गई राशि को राहत के लिए एसडीआरएफ से वहन किया जाना" के अंतर्गत नेगेटिव एंट्री के रूप में दर्शाया जाएगा। चूंकि उचित लेखाकरण से व्यय को दर्ज किए जाने में पारदर्शिता आती है, इसलिए संबंधित राज्यों के महालेखा नियंत्रक/महा लेखाकार का कार्यालय मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत प्रत्येक अधिसूचित आपदाओं/मदों के संबंध में उप शीर्ष/लघु शीर्ष तैयार करे. एसडीआरएफ से भारित किए जाने वाले व्यय को 2245-05-901-कम की गई राशि को राहत व्यय के लिए एसडीआरएफ से वहन किया जाना के अंतर्गत नेगेटिव एंट्री के रूप में दर्शाया जाएगा।

9. प्रत्यक्ष व्यय पब्लिक एकाउंट से नहीं किया जाना चाहिए। यदि कुछ प्रशासनिक कारणों से भी तत्काल राहत पर व्यय को मुख्य शीर्ष: 2245 से भिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत वहन किया भी गया हो तो इनको अंत में अंतर-लेखा अंतरणों के माध्यम से मुख्य शीर्ष: 2245 के अंतर दर्ज किया जाना चाहिए।

निधि में केन्द्रीय अंशदान की रिलीज

10. एसडीआरएफ में केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि राज्य सरकारों को प्रत्येक वित्त वर्ष के जून और दिसम्बर में दो किस्तों में भेजी जाएगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी एसडीआरएफ में अपना अंशदान उसी वर्ष के जून और दिसम्बर में दो किस्तों में ट्रांसफर करेंगी परंतु यह कि यदि गृह मंत्रालय, इस बात से संतुष्ट होने पर कि किसी आपदा विशेष के लिए बहुत आवश्यक है तो वह अगले वर्ष में राज्य को देय इस निधि की 25 प्रतिशत तक की केन्द्रीय हिस्से की राशि जल्दी जारी किए जाने की सिफारिश कर सकता है। जारी की गई इस राशि को अगले वर्ष की किस्तों में समायोजित कर लिया जाएगा।

11. एसडीआरएफ में किसी एक वर्ष में देय भारत सरकार के हिस्से की राशि राज्य सरकारों को, निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर जारी की जाएगी:

(i) एसडीआरएफ में वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्रीय अंशदान की पहली किस्त राज्य सरकार का अपना इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर जारी की जाएगी कि ऊपर पैरा 4 से 9 तक में उल्लिखित लेखाकरण प्रक्रिया की व्यवस्था और नीचे पैरा 11 (ii) से (vii) तक में उल्लिखित अन्य शर्तें चौदहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि में जारी रहेंगी। इन लेखा प्रक्रियाओं का कोई उल्लंघन होने पर आगे की रिलीज तब तक रोक दी जाएगी जब तक कि अपेक्षित लेखा प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है अथवा बहाल नहीं की जाती है।

(ii) पैरा 4 से 9 तक में वर्णित लेखा प्रक्रिया और तरीके को अपनाकर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार राज्य सरकार द्वारा 'राज्य आपदा मोचन निधि' का उचित प्रकार से गठन किया गया हो. राज्य सरकारों को यह प्रमाणपत्र जारी करना होगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) (ब) के अनुसार एसडीआरएफ की स्थापना करने संबंधी अधिसूचनाएं प्रवृत्त हैं।

(iii) नीचे पैरा 12 में किए गए उल्लेख गए अनुसार राज्य को राज्य कार्यकारी समिति का गठन करना होगा। राज्य सरकारों को यह प्रमाणपत्र जारी करना होगा कि राज्य कार्यकारी समिति का गठन करने संबंधी अधिसूचनाएं प्रवृत्त है

(iv) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अप्रैल और अक्तूबर के महीनों में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी कि पहले प्राप्त राशि राज्य सरकार के अंशदान सहित एसडीआरएफ में जमा कर दी गई है। इसके साथ व्यय की गई राशि तथा एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के बारे में विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। यह विवरण अटेचमेंट-II में दिए गए प्रपत्र में देना होगा। पिछले वर्ष के वित्तीय लेखे एक बार उपलब्ध होने पर उस वित्त वर्ष विशेष में उल्लिखित व्यय मुख्य शीर्ष: 2245 में व्यय के आंकड़ों तथा मुख्य शीर्ष: 8121 में एसडीआरएफ में शेष राशि से मेल खाना चाहिए। किसी विसंगति की स्थिति में वित्तीय लेखों में दर्शाए गए मुख्य शीर्ष: 2245 और मुख्य शीर्ष:8121 के आंकड़ों पर विचार किया जाएगा.

(v) किसी वर्ष के दिसम्बर में देय केन्द्रीय अंशदान की राशि, पिछले वर्ष में ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई "प्राकृतिक आपदाओं के बारे में वार्षिक रिपोर्ट" उस वर्ष के सितम्बर तक गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में प्राप्त होने पर जारी की जाएगी। इस वार्षिक रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्त मंत्रालय की सहमति से गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ की मदों और व्यय के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक आपदा पर राज्य सरकार द्वारा किए गए हर प्रकार के व्यय का विवरण दिया जाएगा। यह फार्मेट यथा समय तैयार किया जाएगा।

(vi) जब कभी किसी राज्य के एसडीआरएफ में एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता-अनुदान की राशि डाली जाए तो, जहां तक इसके ट्रांसफर और लेखाकरण का संबंध है, राज्य सरकार इसे एसडीआरएफ में निधियों की तरह ही मानेगी। तथापि, इस प्रकार के मामलों में उस वित्त वर्ष, जिसमें इस प्रकार की अनुदान जारी की गई हो, की समाप्ति के तीन माह के भीतर विशेष उपयोग प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा। उपयोग प्रमाणपत्र का फॉर्मेट यथा समय निर्धारित किया जाएगा।

(vii) वित्त मंत्रालय द्वारा किस्तें, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) की उचित सिफारिशें प्राप्त होने पर, जारी की जाएंगी।

राज्य कार्यकारी समिति

12. प्रत्येक राज्य, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अनुसार राज्य कार्यकारी समिति का गठन करेगा। राज्य सरकार के मुख्य सचिव राज्य कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

राज्य आपदा मोचन निधि से संबंधित मामलों में राज्य कार्यकारी समिति के कार्य

13. राज्य सरकार राज्य कार्यकारी समिति को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपेगी:-

(i) राज्य कार्यकारी समिति तात्कालिक प्रकृति के राहत व्यय के लिए एसडीआरएफ से वित्तीय सहायता के सभी मामलों में निर्णय लेगी. आनुग्रहिक राहत प्रदान किए जाने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के मामले में केन्द्रीय टीम के आकलन के अनुसार होगी। राहत सहायता की अवधि निर्धारित समय-सीमा के अनुसार होनी चाहिए। तथापि, यदि राज्य कार्यकारी समिति जरूरी समझे तो

वास्तविक स्थिति को देखते हुए राहत सहायता की अवधि निर्धारित समय-सीमा से आगे इस शर्त के साथ बढ़ाई जा सकती है कि इस पर होने वाला व्यय उस वर्ष एसडीआरएफ के आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ii) राज्य कार्यकारी समिति संबंधित सरकारों से अंशदान प्राप्त करेगी, एसडीआरएफ को संचालित करेगी तथा एसडीआरएफ में प्राप्त राशियों को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार निवेश करेगी। निवेश संबंधी मानदंड नीचे पैरा 18-25 में दिए गए हैं।

(iii) राज्य कार्यकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि क) एसडीआरएफ से आहरित धनराशि का उपयोग वास्तव में उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाए जिनके लिए एसडीआरएफ का गठन किया गया है, ख) व्यय केवल नीचे पैरा 15 में दी गई व्यय की मदों पर तथा मानदंडों के अनुसार हो, ग) एसडीआरएफ खाते में राज्य के हिस्से की राशि समय पर जमा की जाए, घ) राशि को नॉन रिसीप्ट बीयरिंग पब्लिक एकाउंट में न रखा जाए, ड.) धनराशि को ऐसे खर्चे के लिए डायवर्ट न किया जाए जो ग्राह्य न हो, च) राज्य संसाधनों/बजट निधि को एसडीआरएफ में मिलाने के कारण धन का अधिक उपयोग न हो जिससे एसडीआरएफ की पहचान ही खत्म हो जाए और छ) ऊपर पैरा 4 से 9 तक में दी गई लेखाकरण प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

(iv) एसडीआरएफ में प्राप्त धनराशि तथा इसके निवेश से अर्जित आय का प्रयोग राज्य कार्यकारी समिति द्वारा नीचे पैरा 15 में अनुमोदित मानदंडों में शामिल व्यय की मदों पर किया जाएगा।

राज्य कार्यकारिणी समिति का व्यय

14. राज्य कार्यकारिणी समिति के सभी प्रशासनिक व्यय और विविध व्यय राज्य सरकार द्वारा अपने सामान्य बजट प्रावधानों से वहन किए जाएंगे और न कि एसडीआरएफ या एनडीआरएफ से।

व्यय की मदों और मानदंडों के अंतर्गत सहायता का आकलन

15. व्यय की प्रत्येक अनुमोदित मद पर खर्च की जाने वाली राशियों से संबंधित मानदंड वित्त मंत्रालय की सहमति से गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यदि कोई राज्य सरकार इस निर्धारित राशि से अधिक खर्च करती है तो इस अधिक व्यय को राज्य सरकार के बजट से वहन किया जाएगा और न कि एसडीआरएफ या एनडीआरएफ से।

16. राज्य कार्यकारी समिति राहत व्यय पर वित्तीय सहायता के लिए एसडीआरएफ से सहायता की आवश्यकताओं का आकलन करेगी। राहत में व्यय का प्रावधान ऊपर पैरा 7 में उल्लेख किए गए अनुसार राज्य सरकार के बजट में किया जाएगा। एसईसी द्वारा यथा स्वीकृत एसडीआरएफ से वित्तपोषित की जाने वाली राहत व्यय की राशि नीचे पैरा 26-27 में उल्लिखित तरीके से निवेश राशियों के लिक्विडेशन के बाद एसडीआरएफ से आहरित की जाएगी।

17. राज्य स्थानीय संदर्भ में राज्य विशिष्ट ऐसी प्राकृतिक आपदाओं, जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत सरकार की अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल नहीं हैं, के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने पर

व्यय को एसडीआरएफ में उपलब्ध निधि की 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर एसडीआरएफ से वहन किया जा सकता है। तथापि, यह छूट तभी लागू होगी जब राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं की सूची तैयार कर ली हो और राज्य प्राधिकारी अर्थात् एसईसी के अनुमोदन से इस प्रकार की आपदाओं के संबंध में आपदा राहत के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मानदंड तथा दिशानिर्देश अधिसूचित कर दिए हों। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं पर राज्य द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक खर्च की गई कोई राशि उसके स्वयं के संसाधनों से वहन की जाएगी तथा उन्हीं लेखा मानदंडों के अधीन होगी।

18. आपदा तैयारी, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण और शमन संबंधी प्रावधान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का भाग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के व्यय को सामान्य बजट शीर्षों/राज्य योजनागत निधियों आदि से वहन किया जाना होगा।

18.1 एसडीआरएफ के वार्षिक आबंटन का पांच प्रतिशत राज्यों द्वारा क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए रखा जाए। ये गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:

क) राज्य में आपात कार्रवाई केन्द्र की स्थापना/सुदृढ़ीकरण
ख) राज्य में स्टेकहोल्डर्स और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण
ग) राज्य एटीआई और अन्य संस्थाओं के आपदा प्रबंधन केन्द्रों की सहायता करना
घ) हेजार्ड, जोखिम और खतरे के विश्लेषण के आधार पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना।
ङ.) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुदृढ़ बनाना।

निधि से निवेश के पैटर्न

19. भारत सरकार और/अथवा राज्य सरकार से अंशदान की राशियां प्राप्त होने पर राज्य कार्यकारी समिति, इन दिशानिर्देशों के पैरा 20 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार निधियों के निवेश के बारे में कार्रवाई करेगी।

20. एसडीआरएफ में प्राप्त राशियों को, एसडीआरएफ के निवेश से हुई आय सहित, जब तक भारत सरकार द्वारा दूसरे अनुदेश जारी नहीं किए जाएं, निम्नलिखित में किसी एक अथवा अधिक इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाएगा:

(क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां
(ख) नीलामी वाले ट्रेजरी बिल; और
(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाली जमाओं और जमा प्रमाणपत्रों में

निधियों का निवेश राज्य मुख्यालय में रिजर्व बैंक की शाखा (बैंकिंग विभाग वाले) अथवा रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी शाखा द्वारा किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम के मामलों में ये कार्य उस राज्य के बैंकर्स द्वारा किए जा सकते हैं।

निवेश लेन-देन खाता

21. राज्य कार्यकारी समिति, एसडीआरएफ से पैरा 20 के अंतर्गत खंड (क) से (ग) तक में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निर्धारित राशि निवेश करने के बारे में पैरा 20 में उल्लिखित बैंकर्स को समय-समय पर अनुदेश

जारी करेगी। बैंक स्थानीय स्तर पर अथवा मुंबई या अन्य महानगर केन्द्रों में अपनी शाखाओं/करेसपोंडेंट बैंकों/आरबीआई के माध्यम से आवश्यक निवेश करने की तत्काल व्यवस्था करेंगे। बैंक सरकार को निवेश में से निकाली गई राशि तथा दलाली, कमीशन आदि के बारे में सामान्य रूप से स्क्रोल के रूप में अवगत कराएंगे। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसडीआरएफ के निवेश के ट्रान्जेक्शन अन्य ट्रान्जेक्शनों के साथ मिक्स न हो जाए, इनको अलग स्क्रॉल में अलग से भी दर्शाया जा सकता है।

22. स्क्रॉल प्राप्त होने पर निवेश ट्रान्जेक्शन की "8121-सामान्य और अन्य रिजर्व फंड- 'राज्य आपदा मोचन निधि' शीर्ष के अंतर्गत गणना की जाएगी। दलाली, कमीशन आदि जैसे आनुषंगिक प्रभारों की गणना एसडीआरएफ के प्रभार के रूप में की जाएगी।

23. बैंक इन प्रतिभूतियों/बॉण्ड पर ब्याज वसूल करेगा और उसे यथा तारीख को सरकार के खाते में जमा करेगा। ये प्राप्तियां एसडीआरएफ की प्राप्तियों का भाग होंगी और उनकी इसी रूप में गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इनको एसईसी द्वारा सरकार के अंशदानों की तरह, अर्थात् ऊपर पैरा 20 में निर्धारित निवेश मानदंडों के अनुसार निवेश करना होगा। इन प्रतिभूतियों की परिपक्विता की अवधि पर इन से प्राप्त आय को सरकार के खाते में जमा किया जाएगा अथवा एसईसी से प्राप्त अनुदेशों के आधार पर उन्हें फिर से निवेश किया जाएगा। डेबिट स्क्रॉल्स की तरह बैंक इन प्राप्तियों के लिए अलग स्क्रॉल का प्रयोग करेंगे।

24. एसईसी से अनुदेश प्राप्त होने पर संबंधित बैंक इन प्रतिभूतियों को प्रचलित मूल्य पर मुंबई अथवा अन्य महानगरों में इसकी शाखाओं /करेसपोंडेंट बैंकों/आरबीआई के माध्यम से बेचेगा और इससे प्राप्त राशि को, इसमें से आनुषंगी प्रभार कम करके, सरकार के खाते में जमा करेगा।

25. परिपक्विता की अवधि पर अथवा प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त राशियों को "राज्य आपदा मोचन निधि" में जमा किया जाएगा। बिक्री पर आने वाले आनुषंगिक प्रभारों को एसडीआरएफ में प्रभारित किया जा सकता है।

26. ऑक्शन्ड ट्रेजरी बिलों को बैंक द्वारा या तो गैर-प्रतियोगी बोली के आधार पर ट्रेजरी बिल की नीलामी से अथवा बाजार से खरीदा जा सकता है।

प्रतिभूतियों का नकदीकरण

27. राहत के लिए स्वीकृत दावों की देयता को चुकता करने के लिए एसईसी पहले आवश्यकता के अनुसार ऑक्शन्ड ट्रेजरी बिलों को बेचेगी, सबसे पुराने बिलों को सबसे पहले बेचेगी और इसी क्रम को आगे जारी रखेगी। यदि ऑक्शन्ड ट्रेजरी बिलों की बिक्री से प्राप्त राशि स्वीकृत राहत की देयता को वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो एसईसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थानीय शाखाओं में जमाओं का नकदीकरण कर सकती है। यदि ट्रेजरी बिलों की बिक्री और जमाओं के नकदीकरण से प्राप्त राशि पर्याप्त न हो तो केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों को बेचा जा सकता है।

28. संबंधित राज्य सरकार आरबीआई/बैंकों को, संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके आरबीआई द्वारा निर्धारित दर पर, कमीशन का भुगतान करेगी। ये प्रभार भी पैरा 22 में उल्लिखित प्रभारों की तरह एसडीआरएफ द्वारा वहन किए जाएंगे। प्रतिभूतियों की बिक्री से हुई हानि या लाभ को भी एसडीआरएफ के खाते में दर्ज किया जाएगा।

गृह मंत्रालय द्वारा मॉनीटरिंग

29. गृह मंत्रालय, एसडीआरएफ के संचालन की देखरेख के लिए नोडल मंत्रालय है और वह निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की मॉनीटरिंग करेगा। गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत निदेश/अनुदेश जारी कर सकता है।

एसडीआरएफ में अव्ययित शेष राशि

30. वित्त वर्ष 2014-15 के अंत में एसडीआरएफ खाते में अव्ययित शेष वित्त वर्ष 2015-16 के शुरू में एसडीआरएफ खाते का प्रारंभिक शेष होगा। भारत सरकार 2019-20 के अंत में एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि को रखने के तौर-तरीके के बारे में राज्यों को सूचित करेगी। अन्यथा, जब तक कि उपबंधित न किया जाए, यह इति शेष 2020-25 की आगामी अवधि में एसडीआरएफ के अंतर्गत राहत व्यय के लिए उपलब्ध होगा।

लेखे और लेखापरीक्षा

31. एसडीआरएफ (राहत-वार अनुमोदित) के लेखों और निवेश का रखरखाव सामान्य स्थिति में राज्य के लेखा प्रभारी महालेखाकार द्वारा किया जाएगा। एसडीआरएफ के संबंध में प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, व्यय और इति शेष की स्थिति का उल्लेख वित्तीय लेखों में अलग परिशिष्ट/लाइन के रूप में किया जाएगा। तथापि, एसईसी सहायक लेखों (आपदा-वार) तथा विवरण का इस प्रकार रखरखाव करेगी जो महालेखाकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए।

32. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एसडीआरएफ की, एसडीआरएफ के दिशानिर्देशों के प्रयोजन की दृष्टि से अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार प्रति वर्ष लेखापरीक्षा/परफॉर्मेंस लेखापरीक्षा कराएंगे। राज्य सरकार, एसडीआरएफ के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

व्यावृत्ति

33. गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की सहमति से, अनुदेशों में समय-समय पर आवश्यक समझे गए अनुसार बदलाव/आशोधन करेगा। इसके अतिरिक्त, इन अनुदेशों के किसी प्रावधान को लागू करने में आने वाली किसी कठिनाई की स्थिति में केन्द्र सरकार, यदि वह संतुष्ट हो जाती है तो इन प्रावधानों को आशोधित कर सकती है अथवा आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन कर सकती है।

प्रोफार्मा

(रु. लाख में)

(क) आपदा राहत निधि/राज्य आपदा मोचन निधि में पहले जारी की गई राशियों का विवरण

1. 01.04.20.....को प्रारंभिक शेष
2. सीआरएफ/ एसडीआरएफ में जमा की गई अग्रिम रिलीज़ सहित केन्द्र का हिस्सा
3. राज्य का तदनुरूपी हिस्सा
4. सीआरएफ/ एसडीआरएफ में जमा किया गया राज्य का तदनुरूपी हिस्सा
5. एनडीआरए/ एसडीआरएफ के अंतर्गत प्राप्त राशि
6. 30 सितम्बर.....तक व्यय
7. 31 मार्च, 20.....तक व्यय
8. निवेश खाते में अंतरित राशि
9. निवेश खाते से प्राप्त राशि
10. 31 मार्च/30 सितम्बर को इति शेष (1+2+4+5+9) –(7+8)

ख) 1. 1 अप्रैल/1 अक्तूबर को प्रारंभिक शेष:

1.1 31 मार्च 20.....तक एसडीआरएफ से किया गया कुल निवेश

2. चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राप्ति.....

(i) केन्द्र का हिस्सा.....(भारत सरकार से प्राप्ति की तारीख)

(ii) राज्य का हिस्सा

(iii) एनसीसीएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत सहायता

(iv) एसडीआरएफ के खाते में केन्द्र और राज्य के हिस्से के ट्रांसफर की तारीख

(v) निधियों के ट्रांसफर में 15 दिन तक के विलंब की स्थिति में एसडीआरएफ खाते में जमा की गई ब्याज

(vi) अर्जित आय (एसडीआरएफ/सीआरएफ से किए गए निवेश सहित): .....

(vii) अन्य : .....

(viii) सीआरएफ/ एसडीआरएफ में जमा की जाने वाली केन्द्र/ राज्य के हिस्से की बकाया राशि, यदि कोई हो : .....

(ix) कुल (i) से (viii) तक : .....

(x) इसमें से एसडीआरएफ में जमा की गई राशि : .....

3. एसडीआरएफ में उपलब्ध कुल राशि {1+2 (x)} : .....

4. वर्ष के दौरान इस निधि में से एसडीआरएफ की मदों और मानदंडों के अनुसार हुआ कुल व्यय

i) 31 मार्च, 201.....तक

ii) 30 सितम्बर, 201.....तक

5. निधि में उपलब्ध शेष राशि (3-4).....31 मार्च/30 सितम्बर

(ग) प्राकृतिक आपदाओं के बारे में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

(i) क्या पूर्व वर्ष .....के लिए "प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट" गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है (हां/नहीं)

(ii) जी हां, रिपोर्ट भेजे जाने की तारीख.....

गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आपदा मोचन निधि के गठन और संचालन के बारे में प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

प्रस्तावना

1.1 इन दिशानिर्देशों का नाम 'राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि' संबंधी दिशानिर्देश है। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अंतर्गत गठित एक निधि है। ये दिशानिर्देश गंभीर प्रकृति की आपदाओं की स्थिति में तत्काल राहत की व्यवस्था करने हेतु किसी राज्य की राज्य आपदा मोचन निधि से निधियां प्रदान करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 (2) (जिसे इसमें इसके पश्चात आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 कहा गया है) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

लागू होने की अवधि

2.1 ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की अधिसूचना के बाद वित्त वर्ष 2015-16 से प्रवृत्त होंगे तथा अगले आदेशों तक जारी रहेंगे।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के अंतर्गत शामिल आपदाएं

3.1 चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटना, कीट प्रकोप और शीत लहर तथा पाला जैसी प्राकृतिक आपदाओं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा गंभीर प्रकृति की माना गया है तथा जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा अपनी स्वयं की आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में उपलब्ध शेष राशि से अधिक खर्च किया जाना हो, के लिए एनडीआरएफ से तत्काल राहत सहायता प्रदान की जा सकेगी।

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि

4.1 गंभीर प्रकृति की मानी गई उपर्युक्त आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का संचालन इन दिशानिर्देशों के पैरा 7 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके किया जाएगा। एनडीआरएफ, मुख्य शीर्ष 8235-'सामान्य और अन्य रिजर्व फंड'-119-राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि' के अंतर्गत उप धारा (ख) भारत सरकार के 'ब्याज-मुक्त रिजर्व फंड' में लोक लेखा में अंकीकृत है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंशदान

5.1 वित्त वर्ष 2014-15 के अंत में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का इति शेष वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का प्रारंभिक शेष होगा।

5.2 निधियों को एनडीआरएफ में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 (क) और (ख) के प्रावधानों के अनुसार जमा कराया जाएगा।

5.3 ऊपर पैरा 5.2 में उल्लेख किए गए अनुसार एनडीआरएफ में निधियों के अंतरण के लिए बजट प्रावधान अनुदान मांग सं.- "राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण" (योजनेतर प्रावधान) में किया जाएगा। इस प्रावधान के लिए राज्य सरकारों को धनराशि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

5.4 वर्ष 2015-20 के दौरान भारत के लोक लेखा में स्थापित एनडीआरएफ में अंतरण लेखा शीर्ष: मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत-80-सामान्य-797-रिजर्व निधि तथा जमा खाते में अंतरण-राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंतरण के अंतर्गत किए जाएंगे।

प्राकृतिक आपदाओं की मॉनीटरिंग के प्रबंध

6.1 गृह मंत्रालय, चक्रवात, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, भू-स्खलन, हिम-स्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं को मॉनीटर करने के उचित प्रबंध करेगा। कृषि एवं सहकारिता विभाग सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप और शीत लहर/पाला को मॉनीटर करने के उचित प्रबंध करेगा।

एनडीआरएफ से राहत सहायता का मूल्यांकन

7.1 किसी ऐसे राज्य, जिसकी राज्य आपदा मोचन निधि में पर्याप्त शेष नहीं है, द्वारा किए गए अनुरोध पर गृह मंत्रालय अथवा कृषि मंत्रालय, जैसा भी मामला हो, यह पता लगाएगा कि क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा परिचालित दिशानिर्देशों/फार्मेट के अनुसार, सेक्टर/मद-वार क्षति को दर्शाते हुए तथा निधियों की अवश्यकता का औचित्य बताते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया है तथा यह पता लगाएगा कि क्या इन दिशानिर्देशों और एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ के अंतर्गत सहायता की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अंतर्गत एनडीआरएफ के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता का कोई मामला बनता है। इस प्रकार का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(i) एनडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत व्यय की मदों और मानदंडों के अनुसार निधियों की संभावित आवश्यकता का आकलन करने के लिए राज्य सरकार के ज्ञापन की जांच की जाएगी। यदि प्रारंभिक जांच से यह पता चले कि मानदंडों के अनुसार राहत प्रदान करने के लिए राज्य के पास एसडीआरएफ में पर्याप्त निधियां हैं तो राज्य को तदनुसार सलाह दी जाएगी।

(ii) यदि प्रारंभिक जांच से यह पता चले कि राज्य को सहायता की आवश्यकता है तो मौके पर जाकर आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय टीम भेजी जाएगी।

(iii) केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट की आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप समिति द्वारा जांच की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार एनडीआरएफ से दी जा सकने वाली सहायता की मात्रा और खर्च का आकलन करेगी।

(iv) एससी-एनईसी की सिफारिशों के आधार पर एक उच्च स्तरीय समिति एनडीआरएफ से जारी की जाने वाली तत्काल राहत की मात्रा को अनुमोदित करेगी।

(v) एनडीआरएफ से सहायता की रिलीज पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च को एनडीआरएफ में शेष राशि के 50 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन होगी।

(vi) गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के पास निधियों की उपलब्धता के बारे में सही सूचना सभी स्टेकहोल्डर्स को देगा जो डाटा को उचित तरीके से फीड और अपलोड करेंगे।

उच्च स्तरीय समिति

8.1 उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और (योजना मंत्री/उपाध्यक्ष-नीति आयोग) सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

गृह मंत्रालय द्वारा पर्यवेक्षण

9.1 गृह मंत्रालय यह देखेगा कि एनडीआरएफ से जारी की गई धनराशि का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए निधियां जारी की गई हैं तथा एनडीआरएफ के दिशानिर्देशों के अनुपालन को मॉनीटर करेगा। राज्यों को इस बारे में गृह मंत्रालय को अनुलग्नकों के अनुसार अपेक्षित सूचना देनी होगी।

एनडीआरएफ से अस्वीकार्य सहायता

10. एनडीआरएफ से खर्च गंभीर प्रकृति की आपदा के ऐसे मामलों में तत्काल राहत मुहैया कराने हेतु राज्य की सहायता करने के लिए किया जाता है जहां आवश्यक व्यय राज्य के एसडीआरएफ में शेष राशि से अधिक हो। आपदा तैयारी, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण और शमन संबंधी व्यय एसडीआरएफ या एनडीआरएफ का भाग नहीं होना चाहिए तथा इसे सामान्य बजट शीर्षों/योजनागत निधियों से वहन किया जाना होता है।

राज्यों को रिलीज

11.1 उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त होने पर वित्त मंत्रालय राज्यों को एनडीआरएफ से सहायता जारी करेगा

11.2 राज्य सरकारों को एनडीआरएफ से सहायता "2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत-80-सामान्य-103-एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता" शीर्ष से जारी की जाएगी तथा "8235-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां-119 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि" शीर्ष के अंतर्गत लोक लेखा में निधि से उतनी ही राशि वसूली के रूप में दर्शाई जाएगी। तदनुसार, मुख्य शीर्ष: 2245 के अंतर्गत लघु-शीर्ष 103 का नाम "राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता" से बदलकर "राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्यों को सहायता" हो जाएगा। एनडीआरएफ से प्राप्त हुई राशि को अनुदान मांग सं. 35 में लाइन रिकवरी के नीचे दर्शाया जाएगा।

11.3 एनडीआरएफ से निधियां प्राप्त होने पर राज्य सरकार इन प्राप्तियों तथा राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र/राज्य के हिस्सों की प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष "1601-केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान-01 योजनेतर अनुदान-110 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अनुदान" के अंतर्गत मानेगी। राज्य सरकार मुख्य शीर्ष –2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत-80 सामान्य-103 राज्य आपदा मोचन निधि से राज्यों को सहायता" के तहत संगत लघु शीर्षों के अंतर्गत अपने बजट के व्यय भाग में उचित बजट प्रावधान करेगी। राज्य के एसडीआरएफ खाते में, इस निधि के शेष चार स्रोतों अर्थात् (i) राज्य आपदा मोचन निधि के केन्द्र के हिस्से (ii) आपदा मोचन

निधि के राज्य के हिस्से (iii) निवेशों से प्राप्त आय और (iv) निवेशों की राशि के अतिरिक्त एनडीआरएफ से प्राप्त सहायता को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

11.4 एनडीआरएफ में हुए वास्तविक व्यय को मुख्य शीर्ष: 2245 के भीतर संबंधित लघु शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा लोक लेखा से सीधे व्यय नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रशासनिक कारण से राज्य सरकारों द्वारा राहत पर व्यय को मुख्य शीर्ष : 2245 से भिन्न किसी शीर्ष के अंतर्गत वहन किया गया हो तो इसे अंतिम रूप से अंतर-लेखा ट्रांसफर के माध्यम से मुख्य शीर्ष: 2245 के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। इस लेखा प्रक्रिया के किसी उल्लंघन से राज्यों को एनडीआरएफ से सहायता की रिलीज को तब तक रोका जा सकता है जब तक कि उक्त लेखा प्रक्रिया को अपनाया न जाए/फिर से लागू न किया जाए।

11.5 भुगतान एवं लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों को राशि जारी करेगा। निधि के विस्तृत लेखे का रखरखाव मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय के माध्यम से महालेखा नियंत्रक द्वारा किया जाएगा।

राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निगरानी

12.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य कार्यकारी समिति यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि एनडीआरएफ के अंतर्गत प्राप्त निधियों में से किया व्यय एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ की व्यय की मदों और मानदंडों के अनुसार है।

राज्य आपदा मोचन निधि में अव्ययित शेष राशि

13.1 भारत सरकार 2019-20 के अंत में एनडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि को संभालने के तरीके के बारे में सूचित करेगी।

लेखा और लेखापरीक्षा

14.1 एनडीआरएफ के विस्तृत लेखों का रखरखाव मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय के माध्यम से महालेखा नियंत्रक द्वारा किया जाएगा।

14.2 एनडीआरएफ के लेखों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

व्यावृत्ति

15.1 वित्त मंत्रालय की सहमति से गृह मंत्रालय इन दिशानिर्देशों में ऐसे तरीके से संशोधन कर सकता है जो तात्कालिक राहत प्रयासों के सुगम संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक हो।

*****

अति तत्काल

संख्या 33-6/2016-एनडीएम-I
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

सी विंग, तीसरा तल, एनडीसीसी-II,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 03 अप्रैल, 2017

सेवा में,
मुख्य सचिव,
(सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

विषय: राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के गठन और संचालन संबंधी दिशानिर्देश

महोदय/ महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 30 जुलाई, 2015 के समसंख्यक पत्र का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. राज्य आपदा मोचन निधि संबंधी उपर्युक्त दिशानिर्देशों को अब इसके पैरा संख्या 3 के संबंध में नया उप-पैरा (ii) अन्तःस्थापित करके आंशिक रूप से आशोधित करने का निर्णय लिया गया है, अर्थात् "राज्य सरकार को अपने राज्य में सूखा का निर्धारण/उसकी घोषणा करते समय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार और परिचालित किए गए 'सूखा नियमावली 2016' के दिशानिर्देशों को तदनुसार अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। सूखा के निर्धारण/उसकी घोषणा के लिए (क) सूखा की अधिसूचना, (ख) मैन्युअल (तालिका 3.10) के अनुसार सूखा के आकलन का विवरण और (ग) ग्राम-वार फील्ड सत्यापन डाटा (पैरा 3.2.6) आदि अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा। सूखा मैनुअल, 2016 के पृष्ठ 43-44 के अनुसार फील्ड सत्यापन कार्रवाई का निष्कर्ष सूखा की तीव्रता के निर्णय का अंतिम आधार होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को राहत प्रदान करने के लिए आपदाग्रस्त लोगों के प्रवास, चारे की कमी, भोजन और पेय जल की कमी, खाने-पीने की चीजों और चारे के मूल्य में असामान्य वृद्धि, निर्धन वर्गों के लोगों में कुपोषण आदि जैसी समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार करना होगा। वर्षा न होने/वर्षा की कमी से लेकर फसल की दशा/बाजार में उसके पहुंचने आदि जैसी सूखा की सभी स्टेजों की सिस्टम में ब्लॉक स्तर पर डाटा इकट्ठा करके निर्धारित इंडीकेटर्स के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी की जानी चाहिए"।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे कृपया राज्य में सूखा के निर्णय/घोषणा के संबंध में 'ड्रॉट मैनुअल-2016 में उल्लिखित अनिवार्य अनुदेश/पैरामीटर का अनुपालन करें।

(संजीव कुमार जिंदल)
संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन)

प्रति प्रेषित:-

i) राहत आयुक्त/ सचिव (आपदा प्रबंधन) (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
ii) निवासी आयुक्त (सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र), नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

संयुक्त सचिव (पीएफ-I), व्यय/ संयुक्त सचिव-डीएन (डीएसी एवं एफ डब्ल्यू)/ मास्टर फोल्डर